



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 12.06.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 155/25 धारा 303 (2) बीएनएस में वांछित 25 हजार रुपये के इनामिया 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़(घायलावस्था में) किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .12 बोर व 01 मोटरसाईकिल स्प्लैण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट बरामद ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 27.04.25 को वादी राजू पुत्र शानू निवासी माता मौहल्ला कस्बा अमीनगर सराय थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि किन्ही अज्ञात चोरों द्वारा स्ट्रीट लाईन का तार व 12 एल०ई०डी० लाईट चोरी कर लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर मु0अ0सं0 155/25 धारा 303(2)बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस



एवं स्वाट बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 155/25 धारा 303 (2) बीएनएस में वांछित 25 हजार रुपये के इनामिया 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़(घायलावस्था में) गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .12 बोर व 01 मोटरसाईकिल स्प्लैण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है।

उपरोक्त अभियोग में पूर्व में थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों 1- दिलशाद उर्फ मोनू पुत्र अख्तर निवासी हुसैन पुर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद व 2-आस मोहम्मद उर्फ कल्लू पुत्र इरशाद निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना दोघट जनपद बागपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आमिर पुत्र दाऊद निवासी ग्राम गौसपुर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
(घायलावस्था)

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व घटनास्थल- उपरोक्त अभियुक्त को दिनांक 11-06-2025 को समय 23.52 बजे डौला-खट्टा नहर पटरी थाना सिंघावली अहीर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।

नोट- उपरोक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

बरामदगी का विवरण –

- 01 अवैध तमंचा .12 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .12 बोर।
- 01 मोटरसाईकिल स्प्लैण्डर बिना नम्बर प्लेट ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना प्रभारी श्री सोहनवीर सिंह सोलंकी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-प्रभारी स्वाट श्री सूर्यदीप सिंह मय टीम जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 श्री प्रियवृत्त आर्य थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 4-उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 5-उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 6-उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 7-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 8-का0 479 कौशल शर्मा थाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 12.06.2025

**थाना खेकडा पर माल मुकदमाती कुल 28 वाहनों (कीमत 05 लाख 32 हजार)
की नीलामी के सम्बन्ध में**

कार्यवाही-

दिनांक 12.06.2025 को
मा० न्यायालय के
आदेशानुसार थाना
खेकडा पर वर्ष 2020 से
वर्ष 2022 तक के माल
मुकदमाती वाहनों की
नीलामी क्षेत्राधिकारी
खेकडा, नायब
तहसीलदार खेकडा,
उपसम्भागीय अधिकारी
व प्रभारी निरीक्षक
खेकडा की उपस्थिति में
की गयी। उक्त नीलामी में
जनपद बागपत व आस
पास के जनपदों के कुल-
25 कबाड़ियों ने हिस्सा



लिया, जिसमें कुल-28 वाहनों (25 दो पहिया , 03 चार पहिया वाहन) कीमत
05 लाख 32 हजार रुपये की नीलामी की गयी।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक- 12.06.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 318/2025 धारा 331(4)/305 बीएनएस का अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 2000/ रुपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.06.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी कपिल पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला कश्यप कालोनी मेरठ रोड कस्बा बागपत थाना बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरो द्वारा आवेदक के मकान का ताला तोडकर सोने, चांदी के जेवरात व 15000/- रुपये व मोबाईल चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 318/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 318/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस का अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 2000 रुपये नगद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रभात पुत्र सुबोध निवासी पट्टी जगमिरान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए रुपयों में से 2000 रुपये नगद बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत।
- 2-का0 982 नीरज थाना कोतवाली बागपत।
- 3-का0 62 अरिब पठान थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक- 12.06.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 217/2025 धारा 331(4)/305/304(2) बीएनएस का अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 2570/- रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.04.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादिया ने लिखित तहरीर दि कि अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि में वादिया के मकान का ताला तोडकर 75000/- रुपये, सोने, चांदी के जेवर, गेहू, कीमती कपडे, घडी चोरी कर लिये है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 217/2025 धारा 331(4)/305/304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 217/2025 धारा 331(4)/305/304(2) बीएनएस का अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 2750/- नगद बरामद हुए है ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शिवम पुत्र नफे सिंह निवासी ग्राम ब्राह्मणपुट्टी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए रुपयों में से 2750/- रुपये नगद बरादम ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री मंजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-है०का० 339 राकेश थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-है०का० 78 अजय थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत दिनांक 12.06.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 320/25 धारा
115(2)/110/351(2)/105 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया
गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.06.2025 को कोतवाली बागपत पर वादी आशु पुत्र राजेश निवासी ग्राम आनन्दपुर उर्फ बन्दपुर थाना बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1-लोकेश पुत्र लहरी सिंह, 2- संदीप पुत्र कालू व 3-सुधीर पुत्र जयवीर निवासीगण ग्राम आनन्दपुर उर्फ बन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी के



पिता राजेश कुमार के साथ शराब पीने के रुपये न देने पर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी जिससे वादी का पिता बेहोश हो गया । इस सम्बन्ध प्राप्त तहरीर के आधा पर थाना

कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 320/25 धारा 115(2)/110/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त अभियोग के मजरूब घायल राजेश कुमार की इलाज के दौरान दिनांक 10.06.2025 को जीटीबी हास्पिटल दिल्ली में मृत्यु हो जाने पर उपरोक्त अभियोग में धारा 105 बीएनएस की वृद्धि की गई है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 320/25 धारा 115(2)/110/351(2)/105 बीएनएस में वांछित 02 को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सुधीर पुत्र जयवीर निवासी ग्राम आनन्दपुर उर्फ बन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-संदीप पुत्र रामधन निवासी ग्राम आनन्दपुर उर्फ बन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 72 विपिन भाटी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-का0 44 संजीव थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

